

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक:— नर्सिंग/फार्मासिस्ट/ए-143/2019/

दिनांक:

—:आदेश:—

श्री आशीष कुमार, फार्मासिस्ट, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, घोसुण्डा, चित्तौड़गढ़ के द्वारा परीक्षाकाल में स्वयं की बीमारी के कारण लिया गया निम्न अवधि का असाधारण अवकाश एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है:—

1. असाधारण अवकाश दिनांक 13.01.2019 से दिनांक 27.01.2019 तक 15 दिवस।
 2. असाधारण अवकाश दिनांक 07.03.2019 से दिनांक 22.03.2019 तक 16 दिवस
- कुल 31 दिवस

वित्त विभाग के आदेश संख्या F.1(2)FD(Rules)/06/Part-I दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये 01 दिवस का असाधारण अवकाश की सीमा तक परीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

दिनांक 23.07.2019

क्रमांक:— नर्सिंग/फार्मासिस्ट/ए-143/2019/286

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को उनके क्रमांक 340 दिनांक 22.05.2019 के संदर्भ में प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश कार्मिक की सेवापुस्तिका में इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करे।
2. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सीएचसी घोसुण्डा, चित्तौड़गढ़।
3. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. आदेश/निजी पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर